बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १९ सितम्बर १९६६ को पूर्वाह्न ११ बजे उपाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के सभापतित्व में आरंभ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग में सीट-वृद्धि ।

२० । श्री रामचरण सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना में ६० स्थान (सीटों) की वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष लम्बित है ; यदि हां, तो कबसे ;

(२) क्या सरकार स्थानीय छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना चाहती है ; यदि हां, तो कबतक ?

*श्री कपिलदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम चरण सिंह अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये आपकी इजाजत से मैं इस प्रश्न को पूछना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष—जवाब दिया जाये ।

*श्री शिवशंकर सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है ।

(२) इस संबंध में प्रस्ताव दिसम्बर, १९६५ में योजना आयोग के वर्किंग ग्रूप के द्वारा स्वीकृत हुआ । बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना विश्वविद्यालय के अधीनस्थ है अतः विश्व-विद्यालय को वर्किंग ग्रूप की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करने के लिये अनुरोध किया गया और उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करें ।

श्री अम्बिका सिंह—इस प्रश्न के संबंध में जो कुछ भी गलती हुई है और जैसा कि कामदेव बाबू का आरोप है, इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

सिंघिया के दफादार के विरुद्ध आरोप।

१५३। श्री राज कुमार पूर्वे—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंघिया थाना के सर्किल नम्बर ७ के दफादार श्री जयदेव सिंह के विरुद्ध दिनांक १६ जून १९६६ को इसी सर्किल के ग्राम पचहरा और हथरा के ९० व्यक्तियों ने डी० एस० पी०, समस्तीपुर के पास एक आवेदन-पत्र दिया है;

(२) क्या यह बात सही है कि दरभंगा एस० पी० के पास उक्त सर्किल के अन्तर्गत ग्राम समेला के श्री जगदीश पोद्दार ने उक्त दफादार के विरुद्ध एक आवेदन-पत्र दिनांक १४ मार्च १९६६ को रजिस्ट्री द्वारा भेजा है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त दफादार पर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) श्री जगदीश पोद्दार का आवेदन-पत्र आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा को प्राप्त नहीं हुआ है। दफादार के विरुद्ध आरोप सम्बन्धी स्थानीय जनता का एक आवेदन-पत्र सदस्य (श्री राज कुमार पूर्वे) द्वारा आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में दिनांक २६ जुलाई १९६६ को प्राप्त हुआ है।

(३) दफादार के विरुद्ध आरोपों की जांच आरक्षी निरीक्षक, रोसड़ा एवं आरक्षी उपाधीक्षक समस्तीपुर ने की। दफादार के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए।

श्री राजकुमार पूर्वे—जांच कब हुई?

श्री नवल किशोर सिंह—जांच की तारीख नहीं है।

श्री राजकुमार पूर्वे—जांच जो हुई और उसमें जो ९० आवेदक हैं उनमें से कितने आदमी जांच के समय उपस्थित थे?

श्री नवल किशोर सिंह—इसकी खबर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि पूछ-ताछ की गयी थी।

श्री राजकुमार पूर्वे—मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी आवेदक थे उनमें से किसी को भी जांच के समय नहीं बुलाया गया। जैसा कि प्रश्न के खंड (२) में कहा गया है, उसके आधार पर मैं खुद गया था और मैंने खुद एक चिट्ठी दरखास्त के साथ एस० पी०

को भेजी थी जिसे सरकार ने माना है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच एस०पी० करें और चूंकि मैंने आवेदन-पत्र दिया था इसलिये और लोगों के साथ जांच के समय मुझे भी बुलाया जाये।

श्री नवल किशोर सिंह—इसकी जांच एक बार डी०एस०पी० कर चुके हैं, तारीख मेरे पास नहीं है। मामला बहुत छोटा है इसलिये पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य कहते हैं कि जिनलोगों ने आवेदन-पत्र दिया उनमें से एक को भी बुलाया नहीं गया है।

श्री नवल किशोर सिंह—माननीय सदस्य का सुझाव मंजूर है।

श्री राजकुमार पूर्वे—चूंकि मैंने भी आवेदन-पत्र दिया था इसलिये जांच के समय क्या मुझे भी बुलाया जायेगा?

श्री नवल किशोर सिंह—माननीय सदस्य को खबर दे दी जायगी मगर ९० व्यक्तियों को खबर करना संभव नहीं है। माननीय सदस्य उनको खबर कर दें।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—दफादार पर क्या आरोप है, उसके बारे में क्या हुआ?

श्री नवल किशोर सिंह—तब तो हमको बहुत किस्सा कहना पड़ेगा। एक लज्जाजनक कांड हुआ था। माननीय सदस्य उसे सुनना भी नहीं चाहेंगे।

१९६५-६६ में केन सेस से प्राप्ति।

१५४। श्री रमाकान्त झा—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य में चीनी का कितना उत्पादन हुआ और उससे कितना केन सेस प्राप्त हुआ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—१९६५-६६ के वित्तीय वर्ष में ३.७८ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। पर इस चीनी को बनाने के लिये जो ईख प्राप्त हुई उस पर सेस और खरीद-कर के मद में उस वित्तीय साल में ११४.८३ लाख रुपए हासिल हुए।

*श्री रमाकान्त झा—मैं जानना चाहता हूं कि केन सेस किस काम के लिये लिया जाता है।

श्री शकूर अहमद—यह पूरक प्रश्न कैसे उठता है।